

41901 - क्या वह नफ़ल रोज़े रख सकती है जबकि उसके ऊपर रमज़ान के कुछ दिनों के रोज़े बाक़ी हैं ?

प्रश्न

मैं ने मासिक धर्म के कारण रमज़ान में कुछ दिनों के रोज़े तोड़ दिए, और अभी तक मैं ने अपने क़र्ज़ को नहीं पूरा किया है, क्या मेरे लिए जुलहिज्जा के प्रथम दहे का रोज़ा रखना जायज़ है . . ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

यह मसूला विद्वानों के यहाँ रमज़ान की क़ज़ा से पहले नफ़ली रोज़ा रखने के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में विद्वानों के बीच मतभेद है, चुनाँचे कुछ विद्वानों ने आदमी के ऊपर जो रोज़े अनिवार्य हैं उनकी क़ज़ा करने से पहले नफ़ली रोज़ा रखने को हराम (निषिद्ध) ठहराया है, क्योंकि अनिवार्य रोज़े से शुरूआत करना नफ़ल से अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि कुछ विद्वानों ने इसे जायज़ ठहराया है।

माननीय शेख मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह से प्रश्न किया गया कि : यदि किसी अनिवार्य (वाजिब) की क़ज़ा और एक ऐच्छिक (मुसतहब) काम एकत्र हो जाए, तो क्या इंसान के लिए जायज़ है कि मुसतहब काम को करे और वाजिब की क़ज़ा को बाद के समय के लिए विलंब कर दे या कि वह पहले वाजिब काम की शुरूआत करे, उदाहरण के तौर पर : आशूरा के दिन का रोज़ा रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा के साथ पड़ जाए ?

तो उन्होंने ने उत्तर दिया : "इसमें कोई संदेह नहीं कि फ़र्ज़ और नफ़ल रोज़ों के संबंध में धर्मसंगत और उचित यह है कि वह नफ़ल से पहले फ़रीज़ा से शुरूआत करे, क्योंकि फ़रीज़ा उसके ऊपर अनिवार्य क़र्ज़ है, जबकि नफ़ली रोज़े ऐच्छिक हैं यदि वे रखे जा सकें तो ठीक, अन्यथा कोई आपत्ति की बात नहीं है, इस आधार पर हम उस व्यक्ति से जिसके ऊपर रमज़ान की क़ज़ा बाक़ी है, कहते हैं कि : नफ़ल रोज़ा रखने से पहले आप अपने ऊपर अनिवार्य रोज़ों की क़ज़ा करें, और यदि उसने अपने ऊपर अनिवार्य रोज़ों की क़ज़ा से पहले नफ़ली रोज़ा रख लिए तो तो सही बात यह है कि उसका नफ़ली रोज़ा रखना सही है जब तक कि समय में विस्तार है, क्योंकि रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा का समय उस वक़्त तक रहता है जब तक कि आदमी के और दूसरे रमज़ान के बीच उतना समय बाक़ी रहता है जितना उसके ऊपर रोज़ा अनिवार्य रह गया है, अतः जब तक मामले में विस्तार है तो नफ़ली रोज़ा रखना जायज़ है, जैसेकि उदाहरण के तौर पर फ़र्ज़ नमाज़, यदि समय के विस्तार के साथ इंसान फ़र्ज़ नमाज़ से पहले नफ़ली नमाज़ पढ़ ले तो जायज़ है, अतः जिसने अरफ़ा के दिन का या आशूरा के दिन का रोज़ा रखा जबकि उसके ऊपर रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा बाक़ी है तो उसका रोज़ा रखना सही है, लेकिन यदि उसने यह नीयत कर ली कि वह इस दिन का रोज़ा, रमज़ान के बाक़ी रह गए रोज़ों के बदले, रख रहा है तो उसे दो अज़्र मिले गा : क़ज़ा के अज़्र के साथ अरफ़ा के रोज़े का अज़्र और आशूरा के रोज़े का अज़्र। यह सामान्य नफ़ली रोज़े के बारे

में है जो रमज़ान से संबंधित नहीं है। जहाँ तक शव्वाल के छः रोज़ों का संबंध है तो वह रमज़ान से संबंधित है और वह रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा के बाद ही हो सकता है, यदि वह रमज़ान की क़ज़ा से पहले उनके रोज़े रख ले तो उसे उनका अज़्र नहीं मिलेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा फिर उसके पीछे शव्वाल के छः रोज़े रखे तो गोया उसने ज़माने भर का रोज़ा रखा।” और यह बात पता है कि जिसके ऊपर क़ज़ा अनिवार्य है वह रमज़ान का रोज़ा रखने वाला नहीं समझा जायेगा यहाँ तक कि वह क़ज़ा की पूर्ति कर ले। यह ऐसा मसअला है जिसके बारे में कुछ लोगों का गुमान यह है कि यदि छः रोज़े रखने से पूर्व शव्वाल के महीने के निकलने का डर हो तो आदमी उसके रोज़े रख लेगा भले ही उसके ऊपर क़ज़ा बाक़ी है। हालाँकि यह बात गलत है, क्योंकि इन छः दिनों का रोज़ा उसी समय रखा जायेगा जब आदमी अपने रमज़ान के बाक़ी रह गए रोज़ों को पूरा कर ले।” मजमूओ फतावा इब्ने उसैमीन (20/438).

इस आधार पर, आपके लिए जुलहिज्जा की प्रथम दहाई के रोज़े रखना जायज़ है इस तौर पर कि वे नफ़ली रोज़े हैं, और बेहतर यह है कि आप उन्हें रमज़ान की क़ज़ा की नीयत से रखें, और अल्लाह ने चाहा तो आप को दोनों के अज़्र प्राप्त होंगे।

तथा प्रश्न संख्या (23429) का उत्तर देखें, और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।